संख्या :158/XVIII(1)/-04(17)/2004

प्रेषक,

डा0 आर0 एस0 टोलिया,
मुख्य सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव
उत्तरांचल शासन

2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तरांचल शासन

3. मण्डलायुक्त
गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल

4. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल

5. समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तरांचल ।

समाज कल्याण अनुभाग देहरादून : दिनांक 04 अगस्त/जुलाई, 2004

विषय : शासकीय/अर्द्धशासकीय अधिष्ठानों/सार्वजनिक उपकमों में कतिपय पदों पर पूर्व सैनिक उद्यम लि0 से संविदा पर कार्मिक प्राप्त करने की व्यवस्था के सम्बन्ध में ।

महोदय,

आप अवगत है कि सेना सेवा से मुक्त किए गये अधिकारियों एवं कार्मिकों के पुर्ननियोजन हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार तत्पर है । भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन पुर्नवासन महानिदेशालय पूर्व सैनिकों के लिए गठित किया गया है । राज्य स्तर पर निदेशक, सैनिक कल्याण एवं पुर्नवासन कार्यालय गठित है । पूर्व सैनिकों का पुर्नवासन, पुर्ननियोजन अथवा स्वतः रोजगार के माध्यम से किया जाता है । राज्य अधीन सेवाओं में पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराया गया है ।

सभी राज्यों में समय-समय पर संविदा के आधार पर मानव शक्ति की आवश्यकता महसूस की गई है । इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए अनेक राज्यों मे पूर्व सैनिकों को संविदा के आधार पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए वाणिज्य ईकाईयॉ गठित की गई है । पूर्ववर्ती प्रदेश उत्तर-प्रदेश में भी उत्तर-प्रदेश सैनिक कल्याण निगम कार्यरत है । मार्च, 2004 में उत्तरांचल पूर्व सैनिक कल्याण उद्यम लि0 (उपसुल) का गठन कर दिया गया है, तथा कम्पनी ने व्यावसायिक गतिविधियॉ प्रारम्भ कर दी है ।

भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय के सार्वजनिक उद्यम विभाग ने भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालयों,एवं विभागों को जारी किये गये अपने परिपत्र में निर्देशित किया है कि यदि सार्वजनिक उपकमों द्वारा संविदा के आधार पर सुरक्षाकर्मी

नियोजित किये जाते है तो ऐसे सुरक्षा कर्मचारी ही नियोजित किये जाये जो महानिदेशक, पुर्नवासन द्वारा प्रायोजित हो अथवा जों सम्बन्धित राज्य पूर्व सैनिक कल्याण उद्यम लि0 द्वारा प्रायोजित हो । उक्त निर्देशों में यह भी स्पष्ट किया गया है पुर्नवासन महानिदेशालय अथवा राज्य पूर्व सैनिक कल्याण उद्यम लि0 द्वारा प्रायोजित पूर्व सैनिकों को संविदा के आधार पर सुरक्षा कर्मी नियोजित करने हेतु सम्बन्धित सार्वजनिक उपक्रम को किसी प्रकार की निविदा आमंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है। भारत सरकार के निर्देशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि रक्षा मंत्रालय के पुर्नवासन महानिदेशालय द्वारा संविदा पर रखे जाने वाले सुरक्षाकर्मी के लिए निश्चित की गई दरों में किसी प्रकार का फेरबदल नही किया जाना चाहिए ।

उत्तरांचल में लगभग सभी विभागों में स्वीकृत पदों के सापेक्ष कर्मियों की कमी महसूस की जा रही है । निर्धारित प्रकिया के अनुसार रिक्त स्वीकृत पदों को पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति अथवा सीधी भर्ती के माध्यम से भरने की कार्यवाही गतिमान है, परन्तु तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अस्थाई रूप से कार्मिकों की आवश्यकता विद्यमान है । इसे दृष्टिगत रखते हुए, उत्तरांचल पूर्व सैनिक कल्याण उद्यम लि0 (उपसुल) को निर्देशित किया गया है कि वे अर्हता प्राप्त पूर्व सैनिकों को संविदा के आधार पर सरकारी/अर्द्धसरकारी प्रतिष्ठानों/सार्वजनिक उपक्रमों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें ।

उत्तरांचल पूर्व सैनिक कल्याण उद्यम लि0 (उपसुल) ने सूचित किया है कि वे इस पत्र के संलग्नक में दर्शायें गये श्रेणी के कार्मिकों को संविदा पर उपलब्ध करा सकता है। संलग्नक में प्रत्येक श्रेणी के कार्मिक के सम्मुख "उपसुल" को प्रतिमाह देय धनराशि इंगित की गई है । पूर्ण माह हेतु कार्मिकों की आवश्यकता न होने की स्थिति में 15 दिन अथवा उससे ऊपर की अवधि के लिए पूर्ण माह हेतु निश्चित की गई धनराशि देय होगी और यदि कार्मिकों की सेवायें 15 से कम दिन के लिए प्राप्त की गई है तो निश्चित धनराशि का आधा भाग देय होगा । संलग्नक में श्रेणीवार कर्मचारी की मासिक अवधि के लिए देय धनराशि के अतिरिक्त " उपसुल " को मासिक धनराशि की 10 प्रतिशत धनराशि सेवा शुल्क (सर्विस चार्ज) के रूप में देय होगी । केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा विधि अनुसार, यदि कोई आय कर निर्धारित किए जाते है तो वो भी देय होंगे । " उपसुल " द्वारा इस आदेश के अधीन उपलब्ध करायें गये कार्मिकों को सप्ताह में 6 दिन 8 घण्टे की डयूटी देनी होगी । राष्ट्रीय पर्वो (गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस एवं गांधी जयंती) को छोड़ते हुए अन्य सार्वजनिक अवकाशों के दौरान भी इन कार्मिकों को डयूटी देनी होगी । यदि किसी कारण इनको अवकाश की आवश्यकता पड़ती है तो " उपसुल " प्रतिस्थानी कर्मचारी उपलब्ध करायेगा । "उपसुल" द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्मिकों के अनुशासन की जिम्मेदारी स्वयं " उपसुल " की होगी तथा किसी कार्मिक द्वारा डयूटी पर लापरवाही अथवा अनुशासनहीनता प्रकट करने पर ऐसे कार्मिक को "उपसुल" को लौटा दिया जायेगा तथा " उपसुल" उसके स्थान पर प्रतिस्थानी कार्मिक उपलब्ध करायेगा । " उपसुल " द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्मिक के द्वारा अपने किसी कृत्य अथवा लापरवाही से क्षति पहुंचाई जाती है तो ऐसी क्षति की पूर्ति के लिए " उपसुल " जिम्मेदार होगा ।

इस पत्र के संलग्नक में दर्शाये गये कार्मिकों की श्रेणी में किसी कार्मिक की आवश्यकता हो तो सरकारी/अर्द्धसरकारी प्रतिष्ठान, बोर्ड, निगम, सार्वजनिक

उपक्रम सोसाइटी, आयोग अपनी मांग कर्नल (अ0प्र0) श्री पी0 एस0 वर्मा, सामान्य प्रबन्धक, उत्तरांचल पूर्व सैनिक कल्याण उद्यम लि0, (वर्तमान दूरभाष सं0 0135–2665659, वर्तमान पता– बी – 89, सेक्टर–4, डिफैंस कालोनी, देहरादून) को भेज सकते है ।

" उपसुल" से उपरोक्तानुसार संविदा पर संलग्नक में दर्शाये गये कार्मिकों की सेवा प्राप्त करने के लिए निविदा आमंत्रित करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी ।

संविदा पर रखे गये इन कार्मिको को कोई भी ओवर टाइम अनुमन्य नहीं होगा ।

भवदीय,

(डा0 आर0 एस0 टोलिया)
मुख्य सचिव

संख्या 158-XVIII(1)/04-9(17) /2004, तद्दिनांक

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. ब्रिगेडियर (अ0प्र0) रमेश भाटिया, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल पूर्व सैनिक कल्याण उद्यम लि0, कचहरी कैम्पस, उत्तरांचल देहरादून ।
2. निदेशक, सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास, उत्तरांचल, देहरादून ।

आज्ञा से,

(एस0 के0 मुट्टू)
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त

शासन के पत्र सं0 158-XVIII(1)-9(17)/04 दिनांक 04-8-04 का अनुलग्नक

श्रेणीवार कार्मिकों हेतु अनुमोदित दरें

	कार्मिकों की श्रेणी		धनराशि रूपये में
1.	चौकीदार (सशस्त्र)	:	5,400.00
2.	चौकीदार (लाठी, सीटी एवं टार्च सहित)	:	4,700.00
3.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	:	4,000.00
4.	लिपिक (कम्प्यूटर पर टंकण तथा एम0 एस0 आफिस का ज्ञान)	:	6,550.00
5.	लिपिक (टंकण का ज्ञान)	:	5,700.00
6.	चालक (लाइसेंस युक्त)	:	5,400.00

****